प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि / समाज कल्याण / विकलांग कल्याण / अल्प संख्यक कल्याण / गृह एवं कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा / कृषि / समाज कल्याण / विकलांग कल्याण / अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(4) महानिदेशक, कारागार, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : **16** मार्च, 2010

विषयः– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन का संशोधन।

महोदय,

वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन की स्वीकृति शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1315 / दस–59(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा दी गयी थी। भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रु0 6500–10500 के पदों के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन रु0 4200 / – के स्थान पर रु0 4600 / – ग्रेड वेतन अनुमन्य करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णयों के कम में वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 6500–10500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 (रू0

9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) में ग्रेड वेतन रू0 4600 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्तानुसार संशोधित वेतन बैण्ड/वेतनमान में सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का वेतन निर्धारण एवं तद्नुसार निर्धारित वेतन के फलस्वरुप देय अवशेष, यदि कोई हो, का भुगतान शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/ दस–59 (एम)/ 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्था अनुसार किया जायेगा।

3– उपर्युक्तानुसार वेतन बैण्ड/वेतनमान में संशोधन के फलस्वरूप प्रभावित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59 (एम)/ 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4– उपर्युक्त शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–1314/दस–59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की शेष व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–288(1)/दस–59(एम)/08, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 लाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
6– वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
7– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उ0प्र0।
10– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
12– निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, अरबी मदरसाज, उ0प्र0, इलाहाबाद।
13– समस्त सहायक, निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उ0प्र0, इलाहाबाद।
14– उ0प्र0 के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।
15– प्रधानाचार्य, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, इलाहाबाद।
16– प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय, इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर।
17– कुल सचिव, दयालबाग एजूकेशनल, इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय), दयालबाग, आगरा–282005।
18– रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

19– निदेशक, के0एन0 इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालोजी, लखनऊ।
20– निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, लखनऊ।
21– निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।
22– प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 केक अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।
23– प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।
24– प्रधानाचार्य, किश्चियन (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।
25– प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।
26– प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
27– प्रधानाचार्य, (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।
28– व्यवस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।
29– पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
30– संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन कचहरी रोड, इलाहाबाद।
31– चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
32– नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
33– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 118 सा0वित्त–19–03–2010–(2586)–5000 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।